Ref- 49156o/2A-5/94/OA No 273/2022 Dt - 03/04/2023

From,

Chief Environmental Officer (Circle-5),
Uttar Pradesh Pollution Control Board,
TC-12V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,
Lucknow.

To,

The Registrar General,
Princpal Banch,
Hon'ble National Green Tribunal,
Corpernicus Marg, New Delhi.

Sub: Regarding IA No 159 of 2023 in OA No. 273/2022 in matter of Gyanendra Pandey Versus State of UP & Ors.

Sir,

In compliance of above before Hon'ble National Green Tribunal matter mentioned above, report is hereby attached with a request to put up before Hon'ble National Green Tribunal for kind perusal.

Enclosure: As above.

Your's Sincerely

(Dr. Ram Karan)
Chief Environmental Officer,
Circle-5

Copy to:

1. District Magistrate, Sitapur.
2. Shri Pradeep Mishra, Senior Advocate for UPPCB.
3. Chief Law Officer, UPPCB, Lucknow.
4. Regional Officer, UPPCB, Lucknow.

Chief Environmental Officer,
Circle-5

क्षेत्रीय कार्यालय
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
सीतापुर। 667

मै0 चांद ब्रिक फील्ड, ग्राम–गनेशपुर नेवादा, थाना–लहरपुर, सीतापुर की आख्याः–

मा0 एन0जी0टी0 में योजित वाद IA No 159 of 2023 in OA No. 273/2022 in matter of Gyanendra Pandey Versus State of UP & Ors. के कम में कम संख्या–35 पर उल्लिखित कार्यालय अभिलेखानुसार मैसर्स चांद ब्रिक फील्ड, ग्राम–गनेशपुर नेवादा, थाना–लहरपुर, सीतापुर की आख्या निम्नवत हैः–

1. कार्यालय अभिलेखानुसार ईट भट्ठा वर्ष–2019 से स्थापित है।
2. इकाई प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि भट्ठे के ट्रेन्च की चौड़ाई के आधार पर दैनिक ईट उत्पादन क्षमता 20000 है। ईट भट्ठा में ईधन के रूप में कोयला एवं लकड़ी लगभग 4.0 टन/दिन का प्रयोग किया जाता है।
3. ईट भट्ठा जिग–जैग एंव हाईड्राफ्ट पद्धति पर आधारित है। गैसीय उत्सर्जकों के निस्तारण हेतु स्थापित फिक्स चिमनी की ऊँचाई भूतल से लगभग 110 फीट है।
4. उक्त सन्दर्भित ईट भट्ठे के स्थल से पश्चिम दिशा में लगभग 410 मी0 की दूरी पर सेण्ट बिलाल कान्वेट स्कूल, दक्षिण दिशा में लगभग 475 मी0 की दूरी पर ग्राम–गनेशपुर तथा उत्तर दिशा में लगभग 800 मी0 की दूरी पर ग्राम–मातनपुरवा स्थित है। उक्त के अतिरिक्त ईट भट्ठे के चिमनी से लगभग 600 मी0 की त्रिज्या में अन्य ईट भट्ठा मैसर्स तिरंगा ईट भट्ठा, मैसर्स नवीन ईट भट्ठा एवं मैसर्स गणेश ईट भट्ठा स्थित है।
5. उपरोक्तानुसार सन्दर्भित ईट भट्ठे का स्थल उ0प्र0 ईट भट्ठा (स्थापना एवं स्थल मापदण्ड) नियमावली, 2012 के अनुरूप नही है।
6. ईट भट्ठे द्वारा इस कार्यालय में अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किये जाने हेतु दिनांक 17/09/2019 को आवेदन किया गया गया था, जिसे ईट भट्ठे का सन्दर्भित स्थल उ0प्र0 ईट भट्ठा (स्थापना एवं स्थल मापदण्ड) नियमावली, 2012 के अनुरूप न होने के कारण आनलाइन सन्दर्भ संख्या–66860/UPPCB/Lucknow(UPPCBRO)/CTE/SITAPUR/2019 दिनांक 20/11/2019 के द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया था। **(संलग्नक–1)**
7. उक्त ईट भट्ठे का सन्दर्भित स्थल उ0प्र0 ईट भट्ठा (स्थापना एवं स्थल मापदण्ड) नियमावली, 2012 के अनुरूप न होने के कारण इस कार्यालय के पत्र संख्या–903/एन0ओ0सी0–701 डी/2021 दिनांक 18/10/2021 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम–1981 (यथासंशोधित) की धारा–31 ए में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत बन्दी की कार्यवाही कियें जाने हेतु संस्तुति सहित आख्या बोर्ड मुख्यालय प्रेषित की गयी थी, जिसके कम में सन्दर्भित ईट भट्ठे को बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या–एच 67439/सी–5/एल/ईट–113/2021 दिनांक 25/10/2021 के माध्यम से बन्दी आदेश जारी है। **(संलग्नक–2 & 3)**
8. उक्त के अतिरिक्त सन्दर्भित ईट भट्ठे को बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या–एच 87021/सी–5/ईट भट्ठा/98/का0ब0नो0/लखनऊ/2023 दिनांक 09/01/2023 के माध्यम से रू0 1293750/– (रूपये बारह लाख तिरानवे हजार सात सौ पचास मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। **(संलग्नक–4)**

उपरोक्त आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

03/04/23
(अंकुर गौतम)
अनुश्रवण सहायक

03/04/23
(अनिल कुमार शर्मा)
वैज्ञानिक सहायक

सहायक पर्यावरण अभियंता/क्षेत्रीय अधिकारी महोदय,

03/4/23

03/04/2023

संलग्नक-1 668

U.P. POLLUTION CONTROL BOARD

Building.No. TC-12V Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow-226 010
Telephone: +91-522-2720831, 2720681, 2720691 (Fax): +91-522-2720764

Ref No. - 66860/UPPCB/Lucknow(UPPCBRO)/CTE/SITAPUR/2019 **Dated : 20/11/2019**

To ,

M/S CHAND KHAN
CHAND BRICK FIELD
Ganeshpur, Laharpur, Sitapur,SITAPUR,
SITAPUR

Sub : Consent To Establish(C.T.E) Application under section 25/26 of Water (Prevention & Pollution ofcontrol) Act, 1974 as amended and section 21/22 of Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981 as amended

Kindly refer to your application for Consent to Establish (C.T.E) dated 18/09/2019 received on 18/09/2019 for the proposed Project of CHAND BRICK FIELD Expansion of Existing Unit/ Modernization/diversification of existing plant at Ganeshpur, Laharpur, Sitapur,SITAPUR, under section 25/26 of Water (Prevention & Pollution of Control) Act 1974 as amended and section 21 of Air (Prevention & control of Pollution) Act, 1981 as amended. Your application and the information submitted vide letter dated have been examined along with the facts found during inspection by officials of UPPCB Board on 13/11/2019. Your Consent to Establish application is hereby Refused / Returned due to following reasons :

1. You have not provided complete information in point no of application and annexure no .
2. Your unit was inspected on 13/11/2019 by officials of UPPCB. It has been found that the proposed site is not suitable for setting up of the proposed unit due to the facts that nearest population is at your site is not suitable as per THE UTTAR PRADESH BRICK KILNS (SITING CRITERIA FOR. ESTABLISHMENT) RULES, 2012. Metres from the site/ nearsest educational institution,religious place,monuments,reserveforest,sanctuary is at your site is not suitable as per THE UTTAR PRADESH BRICK KILNS (SITING CRITERIA FOR. ESTABLISHMENT) RULES, 2012..metres from the site/ the land use is not com oatible/proposed site is not as per the guidelines prescribed by the Board.
3. The direction & distanse of abaddi, educational institution, religious place , monuments, reserve forest, sanctuary/ highway, roads, railways & other,sensitive places of importance with in 2.5/5.0 km radious of project site is not shown in the site plan submitted .
4. Unit has not obtained Environmental Clearance under EIA Notification 2006/ Unit has not obtained NOC from competent authority.
5. The ETP/ STP proposals have not been found adequate due to the fact that your site is not suitable as per THE UTTAR PRADESH BRICK KILNS (SITING CRITERIA FOR. ESTABLISHMENT) RULES, 2012.
6. Proposals for Zero Liquid Discharge (ZLD) have not been submitted .
7. The proposals for Air Pollution Control Systems have not been found adequate due to the fact that your site is not suitable as per THE UTTAR PRADESH BRICK KILNS (SITING CRITERIA FOR. ESTABLISHMENT) RULES, 2012..

Reason:

Your Brick kiln site was inspected by the official of UPPCB and as per inspection report your site is not suitable as per THE UTTAR PRADESH BRICK KILNS (SITING CRITERIA FOR. ESTABLISHMENT) RULES, 2012.. hence your CTE Application rejected and also directed to you that do not construct and operate brick kiln at that place.

The Consent To Establish (C.T.E) Application under section 25/26 of The Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 as amended and section 21/22 of The Air (Prevention & Control of Pollution) Act 1981 as amended, is hereby refused and you are hereby informed to comply the mandatory provisions of aforesaid acts.

Dr Ram Karan

Digitally signed by Dr Ram Karan
Date: 2019.11.20 12:40:55 +05'30'

(Authorized Signatory)

Dr Ram Karan
regional officer

Copy To -

CEO Circle 5 UPPCB TCV 12 B Vibhutikhand, gomtinagar, Lucknow

Dr Ram Karan

Digitally signed by Dr Ram Karan
Date: 2019.11.20 12:41:20 +05'30'

Dr Ram Karan
regional officer
(Authorized Signatory)

संलग्नक - 2

903/NOC-701D/2021 18/10/2021

सेवा में,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी वृत्त–5,
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ।

विषयः– **मैसर्स चाँद ब्रिक फील्ड, ग्राम–गनेशपुर नेवादा, लहरपुर, सीतापुर के विरूद्ध प्राप्त शिकायत के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त ईंट भट्ठे के स्थल का निरीक्षण बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या–एच 64996/सी– 5/शासन/सा0–01/21 दिनांक 26/08/2021 एवं इस कार्यालय के पत्र संख्या–504/जी0एफ0– 28/2021 दिनांक 28/08/2021 के अनुपालन में इस कार्यालय के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा दिनांक 08/10/2021 को किया गया। निरीक्षण आख्यानुसार निरीक्षण के समय ईट भट्ठा ऑफ सीजन होने के कारण संचालित नहीं पाया गया। इकाई प्रतिनिधि के अनुसार ईट भट्ठा वर्ष–2019 से स्थापित एवं संचालित है। ईट भट्ठे का अक्षांश व देशान्तर **N27⁰41'19.2"** व **E80⁰53'08.4"** नोट किया गया। ईट भट्ठे में लगभग–110 फिट पक्की ऊंची चिमनी स्थापित है। ईट भटठा के चिमनी स्थल से पश्चिम दिशा में लगभग–410 मी0 की दूरी पर सेण्ट बिलाल कान्वेण्ट स्कूल बी0टी0सी0/बी0एड0 स्थापित एवं संचालित एवं चिमनी स्थल से 600 मी0 की त्रिज्या में तिरंगा ईट भटठा, नवीन ईट भटठा, गणेशपुर ईट भटठा स्थापित है। इकाई स्थल से दक्षिण दिशा में लगभग 475 मी0 की दूरी पर ग्राम–गणेशपुर स्थित है। इकाई स्थल से उत्तर दिशा में लगभग–800 मी0 की दूरी पर ग्राम–मातनपुरवा स्थित है। ईट भट्ठे का स्थल उत्तर प्रदेश ईट भट्ठा (स्थापना एवं स्थल मापदण्ड) नियमावली 2012 के अनुरूप नहीं पाया गया। निरीक्षण के समय उपस्थित ईट भट्ठा प्रतिनिधि द्वारा ईट भट्ठे के संचालन सम्बन्धी विभागों के लाइसेन्स/दस्तावेज प्रस्तुत नही किये गये है। ईट भट्ठे द्वारा मा0 उच्च न्यायालय/मा0 एन0जी0टी0 के द्वारा पारित आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया जा रहा है। उपरोक्त वर्णित ईट भट्ठे को राज्य बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र/सहमति प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं है, जोकि पर्यावरण अधिनियमों में वर्णित प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः उक्त ईट भट्ठे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम–1981 (यथासंशोधित) की धारा–31 ए में वर्णित प्राविधानों के अंतर्गत बन्दी की कार्यवाही किये जाने की संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

संलग्नकः **यथोपरि।**

भवदीय,

(डॉ0 राम करन)
क्षेत्रीय अधिकारी

क्षेत्रीय कार्यालय,
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
लखनऊ।

मैसर्स चाँद ब्रिक फील्ड, ग्राम–गनेशपुर नेवादा, लहरपुर, सीतापुर के विरूद्ध प्राप्त शिकायत के सम्बन्ध में निरीक्षण आख्याः–

उपरोक्त ईट भट्ठे के स्थल का निरीक्षण बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या–एच 64996/सी–5/शासन/सा0–01/21 दिनांक 26/08/2021 एवं इस कार्यालय के पत्र संख्या–504/जी0एफ0–28/2021 दिनांक 28/08/2021 के अनुपालन में अद्योहस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा दिनांक 08/10/2021 को किया गया। इकाई प्रतिनिधि के रूप में श्री सतीश मिश्रा (मुंशी) उपस्थित थे। निरीक्षण आख्या निम्नवत् है–

1. निरीक्षण के समय ईट भट्ठा ऑफ सीजन होने के कारण संचालित नहीं पाया गया। इकाई प्रतिनिधि के अनुसार ईट भट्ठा वर्ष– 2019 से स्थापित एवं संचालित है।
2. ईट भट्ठे का अक्षांश व देशान्तर N27°41'19.2'' व E80°53'08.4'' नोट किया गया।
3. ईट भट्ठे में लगभग–110 फिट पक्की ऊंची चिमनी स्थापित है।
4. ईट भटठा के चिमनी स्थल से पश्चिम दिशा में लगभग–410 मी0 की दूरी पर सेण्ट बिलाल कान्वेण्ट स्कूल बी0टी0सी0/बी0एड0 स्थापित एवं संचालित एवं चिमनी स्थल से 600 मी0 की त्रिज्या में तिरंगा ईट भटठा, नवीन ईट भटठा, गणेशपुर ईट भटठा स्थापित है। इकाई स्थल से दक्षिण दिशा में लगभग 475 मी0 की दूरी पर ग्राम–गणेशपुर स्थित है। इकाई स्थल से उत्तर दिशा में लगभग–800 मी0 की दूरी पर ग्राम–मातनपुरवा स्थित है।
5. ईट भट्ठे का स्थल उत्तर प्रदेश ईट भट्ठा (स्थापना एवं स्थल मापदण्ड) नियमावली 2012 के अनुरूप नहीं पाया गया।
6. निरीक्षण के समय उपस्थित ईट भट्ठा प्रतिनिधि द्वारा ईट भट्ठे के संचालन सम्बन्धी विभागों के लाइसेन्स/दस्तावेज प्रस्तुत नही किये गये है।
7. ईट भट्ठे द्वारा मा0 उच्च न्यायालय/मा0 एन0जी0टी0 के द्वारा पारित आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया जा रहा है।
8. उपरोक्त वर्णित ईट भट्ठे को राज्य बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र/सहमति प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं है, जोकि पर्यावरण अधिनियमों में वर्णित प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः उक्त ईट भट्ठे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम–1981 (यथासंशोधित) की धारा–31 ए में वर्णित प्राविधानों के अंतर्गत बन्दी की कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की जाती है।

उपरोक्त निरीक्षण आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

13/10/2021
(जितेन्द्र कुमार)
वैज्ञानिक सहायक

13/10/21
(क्षितीश पटेल)
सहायक वैज्ञानिक अधिकारी

क्षेत्रीय अधिकारी महोदय,

उपरोक्तानुसार प्रेषित

13/10/2021

CEO-G-Sin

(डा0 राम करन)
क्षेत्रीय अधिकारी
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
लखनऊ

संलग्नक -3

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

672

Ref. No H 67439/सी-5/L/ईट-113/21 Date 25/10/2021

पंजीकृत

447

No..........
S.No..........
28/10/21

सेवा में,

मेसर्स चॉद ब्रिक फील्ड,
ग्राम–गनेशपुर नेवादा, लहरपुर,
सीतापुर।

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ से प्राप्त आख्या दिनांक 18.10.2021 के अनुसार जनपद–सीतापुर में ईट भट्ठा मेसर्स चॉद ब्रिक फील्ड, ग्राम–गनेशपुर नेवादा, लहरपुर, सीतापुर में स्थापित है, जिसे आगे उद्योग कहा जायेगा। उद्योग द्वारा कच्चे माल के रूप में मिट्टी, पानी, कोयला का प्रयोग कर ईट के उत्पादन हेतु स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

.... 21. Restrictions on use of certain industrial plants.—
(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant......

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ के पत्र संख्या–903/एन.ओ.सी.–701डी/2021 दिनांक 18.10.2021 द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त ईट भट्ठा राज्य बोर्ड से अनापत्ति/सहमति प्रमाण पत्र प्राप्त नही है। ईट भट्ठा उद्योग का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है।

अतः जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि ईट भट्ठें के संचालन को तत्काल प्रभाव से रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये ईट भट्ठा मेसर्स चॉद ब्रिक फील्ड, ग्राम–गनेशपुर नेवादा, लहरपुर, सीतापुर के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निम्न बन्दी आदेश जारी किया जाता हैं:–

1. यह कि आपके ईट भट्ठें के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. यह कि सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपके ईट भट्ठा को मिलने वाली खनन अनुज्ञा तथा लाइसेन्स को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

AEE/SA (M)
24/10/21

भवदीय,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त–5

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, सीतापुर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–7, उत्तर प्रदेश, शासन द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या 303/81–7–2021–39(पर्या)/2014–टी00सी0–1 दिनांक 15.03.2021 तथा शासनादेश संख्या 582/81–7–2021–39(पर्या)/2014–टी0सी0–1 दिनांक 08.07.2021 के अनुपालन में संदर्भित ईट भट्ठे के विरूद्ध जारी बन्दी आदेश का

....2

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.com - Web Site: www.uppcb.com

अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु सम्बन्धित प्रशासनिक अधिकारियों, जिला पंचायत, खनन विभाग एवं अन्य सम्बन्धित विभागों के अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें।

2. पुलिस अधीक्षक, सीतापुर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–7, उत्तर प्रदेश, शासन द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या 303/81–7–2021–39(पर्या)/2014–टी00सी0–1 दिनांक 15.03.2021 तथा शासनादेश संख्या 582/81–7–2021–39(पर्या)/2014–टी00सी0–1 दिनांक 08.07.2021 के अनुपालन में संदर्भित ईट भट्ठे के विरूद्ध जारी बन्दी आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु अग्रिम कार्यवाही करने का कष्ट करें।

3. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि संदर्भित ईट भट्ठे के विरूद्ध जारी बन्दी आदेश को तत्काल ईट भट्ठे स्वामी को प्राप्त करायें एवं अनुपालन सुनिश्चित कराकर अनुपालन आख्या अविलम्ब प्रेषित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त–5

संलग्नक-4

674

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

(5)

पत्रांक H.87021/सी–5/ईट भटठा/98/का0ब0नो0/लखनऊ/23 दि0 09-01-2023

सेवा में, **पंजीकृत**

मेसर्स चॉद ब्रिक फील्ड
ग्राम–गनेशपुर नेवादा,थाना– लहरपुर
तहसील– लहरपुर,
जनपद–सीतापुर।

94
13/01/2023

विषयः– राज्य बोर्ड द्वारा जारी बन्दी आदेशका उल्लंघनकर ईट भटठे का संचालन किये जाने के कारण पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में कारण बताओ नोटिस।

महोदय,

कृपया बोर्ड के पत्र संख्या एच 67439/सी–5/एल/ईट–113/21 दिनांक 25.10.2021 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से ईट भटठा मेसर्स चॉद ब्रिक फील्ड, ग्राम–गनेशपुर नेवादा,थाना–लहरपुर, तहसील–लहरपुर, सीतापुर के अन्तर्गत बन्दी आदेश जारी किया गया था।

ईट भटठे के विरूद्ध जारी बन्दी आदेश के अनुपालन में स्थलीय निरीक्षण क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ के प्राधिकारियों द्वारा दिनांक 21.05.2022 को किया गया। निरीक्षण के समय ईट भटठा प्रतिनिधि मो0 चांद खॉ (प्रोप्राइटर) उपस्थित थे। निरीक्षण के समय ईट भटठा संचालित पाया गया। ईट भटठे का संचालन बोर्ड के बन्दी आदेश दिनांक 25.10.2021 का उल्लंघन करते हुए किया जा रहा है जो वायु(प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम,1981 (यथासंशोधित) की धारा–31 ए उल्लंघन एवं धारा–37 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है।

उक्त को दृष्टिगत रखते हुए क्षेत्रीय अधिकारी, लखनऊ द्वारा अपने पत्राक 1320/NOC–701डी/22 दिनांक 05.09.2022 के माध्यम से प्रेषित आख्या में माननीय एन0जी0टी0 के आदेशानुसार केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हेतु जारी गाईडलाइन के अनुसार ईट भटठे के विरूद्ध दिनांक 26.10.2021 से दिनांक 21.05.2022 तक अर्थात कुल 207 दिन डिफाल्टर मानते हुए रूपये 6,250/– प्रतिदिन के आधार पर कुल रूपये 12,93,750 (रूपये बारह लाख तिरानवे हजार सात सौ पचास मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के विरूद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने से पूर्व निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

अतः उपरोक्त को दृष्टिगत रखते हुए क्षेत्रीय अधिकारी,लखनऊ द्वारा प्रेषित आख्या/संस्तुति दिनांक 05.09.2022 के अनुक्रम में मेसर्स चॉद ब्रिक फील्ड, ग्राम–गनेशपुर नेवादा,थाना–लहरपुर, तहसील–लहरपुर,सीतापुर के विरूद्ध निम्न कारण बताओ नोटिस किया जाता हैः–

- यह कि क्यों न माननीय एन0जी0टी0 के आदेशानुसार केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हेतु जारी गाईडलाइन के अनुसार ईट भटठे के विरूद्ध पूर्व में बोर्ड के पत्र दिनांक 25.10.2021 द्वारा पारित बन्दी आदेश का उल्लंघन कर दिनांक 26.10.2021 से दिनांक 21.05.2022 तक अर्थात कुल 207 दिन तक अर्थात (कुल 221 दिन) की अवधि में संचालन के दृष्टिगत रूपये 6,250/– प्रतिदिन के आधार पर कुल 12,93,750 (रूपये बारह लाख तिरानवे हजार सात सौ पचास मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जाये।

...2

A80 (P)
n.a.-fl.
13/01/23

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764

उक्त के संबंध में अपना स्पष्टीकरण 15 दिन के अन्दर राज्य बोर्ड को प्रेषित करें, निर्धारित अवधि सन्तोषजनक उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह समझा जायेगा कि उक्त विन्दु पर आपको कुछ नही कहना है एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों के दृष्टिगत उपरोक्त वर्णित निर्देश की पुष्टि करते हुए ईट भट्ठे के विरूद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जायेगी।

कृपया नोट करें कि उपरोक्त ईट भटठे के विरूद्ध चल रही अथवा प्रस्तावित विधिक दण्डात्मक कार्यवाही पर कोई प्रतिकूल असर नही पड़ेगा।

भवदीय,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
वृत्त–5

प्रतिलिपिः– क्षेत्रीय अधिकारी,उ0प्र0प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि निर्धारित अवधि में पुनः ईट भटठे का निरीक्षण कर उपरोक्त वर्णित निर्देश के अनुकम में अनुवर्ती आख्या स्पष्ट संस्तुति के साथ प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
वृत्त–5